भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *239

17.03.2025 को उत्तर के लिए

मैंग्रोव की क्षति और तटीय कटाव

***239. कैप्टन बृजेश चौटा :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के तटीय जिलों के लिए मैंग्रोव की क्षति की पर्यावरण संबंधी जोखिम के रूप में पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण कन्नड़ में वित्तपोषित मैंग्रोव वनरोपण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में तटीय बाढ़ और कटाव को रोकने के लिए बजट 2025 में कोई विशेष धनराशि आवंटित की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने तटीय कटाव से निपटने और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में जलवायु प्रतिरोध क्षमता का उपयोग करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'मैंग्रोव की क्षति और तटीय कटाव' के संबंध में दिनांक 17.03.2025 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य कैप्टन बृजेश चौटा द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *239 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) मैंग्रोव प्राकृतिक तटीय खतरों विशेषकर चक्रवातों के प्रति जैव-अवरोधक होते हैं। वे तटीय पारिप्रणाली और समुदायों को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ प्रदान करते हैं। मैंग्रोव महत्वपूर्ण पारिप्रणालियां होती हैं जो तटरेखा संरक्षण, जैवविविधता के लिए पर्यावास, विभिन्न प्रकार की पादप एवं पशु प्रजातियों को आश्रय देने, जल की गुणवत्ता में सुधार करने जैसे अनेक लाभ प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पृथक करने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत तटीय विनियमन ज़ोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 अधिसूचित की है, जिसमें मैंग्रोव को पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। इस अधिसूचना में ऐसे ईएसए का संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का वन सर्वेक्षण के लिए अधिदेशित अधीनस्थ संगठन - भारतीय वन सर्वेक्षण द्विवार्षिक रूप से "भारत वन स्थिति रिपोर्ट" (आईएसएफआर) प्रकाशित करता है। आईएसएफआर-2023 रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक राज्य में मैंग्रोव आवरण 14.20 वर्ग किमी है, जो गत आकलन (आईएसएफआर-2021) की तुलना में 2.54 वर्ग किमी की वृद्धि दर्शाता है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और उडिपी जिलों में क्रमशः 0.66 वर्ग किमी, 0.21 वर्ग किमी और 1.67 वर्ग किमी की वृद्धि देखी गई है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय तटीय मिशन स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान कर्नाटक राज्य को 109.01 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। उत्तर कन्नड़ में कारवार और होन्नावर नामक दो मैंग्रोव स्थलों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः 38.81 लाख रुपये और 24.56 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, उडुपी जिले में कुंदापुर मैंग्रोव क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 35.05 लाख रुपये और दक्षिण कन्नड़ में मंगलूर मैंग्रोव क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में 10.59 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई थी। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) स्कीम, जो बाढ़ नियंत्रण, क्षरण-रोधी, जल निकासी संरचना निर्माण और समुद्री क्षरण रोकने आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने से संबंधित है, के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 450 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) और (ङ) समुद्री क्षरण को रोकने के कार्यों संबंधी कार्यक्रम को निर्देशित और कार्यान्वित करने तथा संरक्षित तटीय ज़ोन में विकास संभावना पर विचार करने के लिए सदस्य (नदी प्रबंधन विंग), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में तटीय संरक्षण और विकास सलाहकार समिति (सीपीडीएसी) का गठन किया गया है। इस समिति का सचिवालय, सीडब्ल्यूसी के अंतर्गत आने वाला तटीय प्रबंधन निदेशालय है। तटीय अभियांत्रिकी विशेषज्ञों और समुद्र-तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा संबंधित केंद्रीय विभागों के प्रतिनिधियों से युक्त यह समिति एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी निकाय है, जो तटीय क्षरण की समस्याओं पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए साझा मंच प्रदान करती है।

गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तटीय जोखिम उपशमन के संबंध में आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी समिति (सीओडीआरआर) का गठन किया है। इस समिति में तटीय क्षेत्रों की समस्याओं एवं जोखिम और संभावित उपशमन उपायों तथा राज्य स्तर पर ऐसे किसी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के दौरान उठ सकने वाले मुद्दों के संबंध में चर्चा करने के लिए सभी प्रकार के तटीय जोखिमों से प्रभावित हो सकने वाले सभी संबद्ध हितधारक तथा 09 (नौ) तटीय राज्य और 04 (चार) संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

*****